न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/81/2012	2012/00003	13.08.2012	21.05.2024

1.सरकार जरिये वीरसिंह यादव, प्रवर्तन अधिकारी, राजगढ।

बनाम

1.श्री ईशा पुत्र रामजन, निवासी बाढवा, तहसील नूंह, मेवात हरियाणा।
2.श्री शाहिद पुत्र मम्मन, निवासी–ढींगा, मेवात, हरियाणा।

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश R.P.P.L (Lic. & Cont.) order1990 एवं MS & HSD (Regulation of distribution & supply and Prevention of Malpractices) Act 1998 बाबत राजसात किये जाने 2430 लीटर डीजल एवं पिक–अप महिन्द्रा एंड महिन्द्रा कंपनी नं0 एच0आर0 74–6410।

–:निर्णय:–

प्रवर्तन अधिकारी राजगढ ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश R.P.P.L (Lic. & Cont.) order1990 एवं MS & HSD (Regulation of distribution & supply and Prevention of Malpractices) Act 1998 के तहत प्रस्तुत किया है। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं। उपखण्ड अधिकारी रैणी के निर्देशानुसार एवं पुलिस थाना रैणी एसएचओ के पत्रांक 909 दिनांक 13.05.2012 के क्रम में पकडी गई पिक–अप न0 एच0आर0 74–6410 में स्थित 11 प्लास्टिक नीले हरे ड्रम में स्थित डीजल एवं श्रीमान एसएचओ रैणी द्वारा जब्त कागजात/दस्तावेज की जांच की गई। जिसकी तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है।

पुलिस थाना रैणी परिसर में स्थित पिक–अप नं0 एच0आर0 74–6410 में स्थित 11 प्लास्टिक ड्रमों में नाप–तौल पर 2430 लीटर डीजल उपलब्ध मिला। उक्त डीजल को मय ड्रमों के जब्त सरकार कर मै0 आर्य सर्विस सेन्टर, रैणी पेट्रोल पंप के मालिक श्री मेघ सिंह पुत्र श्री पदम सिंह सैनी, निवासी राजगढ को सुपुर्दगी पर दिया गया। जब्त डीजल नमुना सैम्पल तीन–तीन बोतलों में पृथक से लिया गया। उक्त जांच कार्यवाही की फर्द मौका जांच दिनांक 13.05.2012 एवं फर्द नमुना डीजल दिनांक 13.05.2012 एवं फर्द जब्ती (अधिग्रहण) फर्द सुपुर्दनामा दिनांक 13.05.2012 की प्रतियां संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

पिक–अप महिन्द्रा एवं महिन्द्रा कंपनी नं0 एच0आर0 74–6410 के मालिक श्री ईशा पुत्र रामजन निवासी बाढवा, तहसील नूंह, मेवात, हरियाणा की आर0सी0 कंपनी मै0 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सीतापुरा जयपुर की उक्त वाहन की पॉलिसी नं0 1003/31/12/361217 की मूल प्रति संलग्न है। श्रीमान एस0एच0ओ0 पुलिस थाना रैणी रामेश्वर लाल चौधरी द्वारा उक्त वाहन का ड्राईवर श्री शाहिद पुत्र मम्मन, निवासी ढींगा, मेवात हरियाणा मौके पर फरार होना अवगत कराया है। जिसका मोवाईल न0 09468137367 होना अवगत कराया है। उक्त पिक–अप महिन्द्रा एवं महिन्द्रा कंपनी नं0 एच0आर0 74–6410 को अग्रिम आदेशों तक श्रीमान एसएचओ पुलिस थाना रैणी को सुपुर्दगी पर सुरक्षित रखने हेतु दिया गया है। सुपुर्दनामा संलग्न है।

उक्त जब्त डीजल के आमद बिल एवं डीजल कारोबार का अनुज्ञापत्र उकत व्यक्तियों द्वार प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ मे मै0 एच0 पी0 तिरूपति फिलिंग स्टेशन रिवाली (फिरोजपुर) हरियाणा की फर्जी बिल–बुक भी जब्त की गई जिससे स्पष्ट है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा डीजल की अवैध विक्री का फर्जी पैट्रोल पम्प के विल प्रदर्शित किये जाते हैं। श्री ईशा पुत्र रामजन तथा शाहिद पुत्र मम्मन निवासियान हरियाणा द्वार डीजल की अवैध बिक्री कर भण्डारण एवं बेचान किया जाना स्पष्ट है जो R.P.P.L (Lic. & Cont.) order1990 की धारा 3(1)4, 15 एवं MS & HSD (Regulation of distribution & supply and Prevention of Malpractices) Act 1998 की धारा 2 ई, 3(1)4, 3(1)6, 3ए का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 2430 लीटर ज्वलनशील पैट्रोलियम उत्पाद होने एवं अग्नि विस्फोटक एवं रिसाव की स्थिति को मघ्यनजर रखते हुए जब्त सामग्री मय वाहन पिक–अप महिन्द्रा एवं महिन्द्रा कंपनी नं0 एच0आर0 74–6410 को राजसात करते हुए अंतरिम निस्तारण करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद रजिस्टर्ड नोटिस अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वीरसिंह यादव, प्रवर्तन अधिकारी, राजगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का मिलान किया गया। उपखण्ड अधिकारी रैणी के निर्देशानुसार एवं पुलिस थाना रैणी एसएचओ के पत्रांक 909 दिनांक 13.05.2012 के क्रम में पकडी गई पिक–अप न0 एच0आर0 74–6410 में स्थित 11 प्लास्टिक नीले हरे ड्रम में स्थित डीजल एवं श्रीमान एसएचओ रैणी द्वारा जब्त कागजात/दस्तावेज की जांच की गई। पिक–अप नं0 एच0आर0 74–6410 में स्थित 11 प्लास्टिक ड्रमों में नाप–तौल पर 2430 लीटर डीजल उपलब्ध मिला। वाहन जब्ती के वक्त वाहन का ड्राईवर श्री शाहिद पुत्र मम्मन, निवासी ढींगा, मेवात हरियाणा मौके पर फरार हो गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण को कई बार रजिस्टर्ड नोटिस

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

जारी किये गये। अप्रार्थीगण बाबजूद रजिस्टर्ड नोटिस अनुपस्थित। जब्त की गई पिक–अप नं0 एच0आर0 74–6410 एवं उसमें स्थित 11 प्लास्टिक ड्रमों में 2430 लीटर डीजल उपलब्ध मिला जिनके संबंध में लगभग 12 साल बाद भी आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। उक्त 2430 लीटर डीलज मै0 आर्य सर्विस सेन्टर, रैणी पेट्रोल पंप के मालिक श्री मेघ सिंह पुत्र श्री पदम सिंह सैनी, निवासी राजगढ को सुपुर्दगी पर दिया गया था। मै0 आर्य सर्विस सेन्टर, रैणी द्वारा भी न्यायालय हाजा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विस्फोटक पदार्थ होने एवं भविष्य में कोई बडी दुर्घटना घटित होने की आशंका जताते हुए प्रकरण के निस्तारण हेतु निवेदन किया है। उक्त कृत्य R.P.P.L (Lic. & Cont.) order1990 की धारा 3(1)4, 15 एवं MS & HSD (Regulation of distribution & supply and Prevention of Malpractices) Act 1998 की धारा 2 ई, 3(1)4, 3(1)6, 3ए का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश R.P.P.L (Lic. & Cont.) order1990 एवं MS & HSD (Regulation of distribution & supply and Prevention of Malpractices) Act 1998 के अन्तर्गत जब्त 2430 लीटर डीजल एवं पिक–अप महिन्द्रा एंड महिन्द्रा कंपनी नं0 एच0आर0 74–6410 को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान
सरकार